न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – नीलम लखारा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 178/2016 वाद

अनवान

श्री देवीलाल पिता स्व. छबीलाल भोई निवासी ऋषभदेव, तह. ऋषभदेव।

– वादीगण

बनाम

श्री गमेरलाल पिता स्व. छबीलाल भोई निवासी ऋषभदेव, तह. ऋषभदेव।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक – 26.09.2019

आदेश

वादी द्वारा संस्थित वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मौजा धुलेव की आराजी नम्बर 4831/2938 रकबा 0.0330 कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी के पिता छबीलाल पिता भेरुलाल भोई के खाते जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में चली आ रही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि छबीलाल जी भोई ने अपनी स्वअर्जित आय से क्रय की थी। छबीलाल भोई का स्वर्गवास दिनांक 06.05.2007 को हो गया और उक्त वर्णित आराजीयात की जमाबन्दी मे विरासत से नामान्तरकरण नहीं खोला गया था। जो अब नामान्तरकरण संख्या 1438 से खोला गया जिसमें छबीलाल के बजाय देवीलाल वादी स्वयं एवं ओमप्रकाश, गमेरलाल पिता छबीलाल भोई, गीता देवी व पुष्पा देवी पुत्री छबीलाल भोई के नाम से उक्त भूमि दर्ज करने की स्वीकृति हुई। वादी के पिता ने दिनांक 06.08.1993 को अपने पुत्रो का आपस में पारिवारिक बंटवाडा किया जिसमें उक्त वर्णित आराजियात की कृषि भूमि वादी के हिस्से में आई। जिसका प्रतिवादी एवं उसके भाई ओमप्रकाश एवं वादी की बहनों ने उक्त बंटवाडेनामे को स्वीकार करते हुये उक्त वर्णित आराजियात की कृषि भूमि वादी को बंटवाडे में मिली। तब से वादी उक्त वर्णित आराजियात पर अपना मकान बनाकर कृषि काश्त करता हुआ आ रहा है। विरासत से देवीलाल वादी स्वयं एवं ओमप्रकाश, गमेरलाल पिता छबीलाल भोई, गीता देवी व पुष्पा देवी पिता छबीलाल भोई के नाम पर खाते दर्ज हुई जिसपर वादी के भाई ओमप्रकाश व वादी की बहनें गीता देवी एवं पुष्पा देवी उक्त वर्णित आराजियात में से वादी के पक्ष में दिनांक 06.08.1993 के बंटवाडे के आधार पर गीता देवी, पुष्पा देवी व ओमप्रकाश ने उक्त वर्णित आराजियात की कृषि भूमि में अपने–अपने 1/5 हिस्से का वादी के पक्ष में दिनाकं 10.05.2016 को उप पंजीयक ऋषभदेव के समक्ष हक त्यागनामे का पंजीयन करा दिया है। तब से उक्त वर्णित भूमि 3/5 हिस्सा जो वादी की बहनो व भाई का था वह वादी में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार वादी के पास उक्त वर्णित आराजियात का 4/5 हिस्सा खातेदार के रूप में दर्ज हो गया। दिनांक 06.08.1993 को वादी व प्रतिवादी पिताजी की स्वअर्जित सम्पत्ति का तीनों बच्चो के मध्य पांति बंटवाडा कर उसी दिन से सभी को अपनी–अपनी अचल सम्पत्ति का कब्जा सूपुर्द कर दिया। पांति बंटवाडे मे मिली अचल सम्पत्ति पर

निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज है। शेष 1/5 हिस्सा जो प्रतिवादी के नाम पर है, जो वादी द्वारा अर्से से काबिज हो काश्त कर उसमें मकान बना कर करिब 23 वर्षो से निरन्तर निवासरत है। सभी भाई अपने–अपने हिस्से में आई अचल सम्पत्ति पर काबिज है। जो प्रतिवादी को उक्त वर्णित आराजियात के हिस्से में उसके 1/5 हिस्से का वादी के पक्ष में हक त्यागनामा करवाने के लिये निवेदन किया तो उसने इनकार कर दिया। वाद कारण दिनांक 10.05.2016 को पैदा हुआ जब वादी द्वारा प्रतिवादी को हक त्याग करवाने के लिये निवेदन किया।

इस पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी दिनांक 11.08.2016 को उपस्थित हुआ। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 18.10.2016 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत किया जिस पर वादी वकिल द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर सिधे बहस के लिये आग्रह किया। बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का आदेश दिनांक 15.11.2016 में खारिज किया गया। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 24.01.2017 को जबाव प्रस्तुत किया जिसकी तनकियात दिनांक 30.03.2017 को कायम की गई। वादी द्वारा साक्ष्य में दिनांक 23.11.2017 को वादी स्वयं का शपथ पत्र PW1 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तथा वादी साक्ष्य में 2 अन्य गवाह क्रमशः ओमप्रकाश जो PW2 है एवं पन्नालाल तेली PW3 का पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य शपथ पत्र की प्रति वकील प्रतिवादी का दी गई। जिसकी जिरह हेतु समय के अन्तराल मे ही वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हुआ दिनांक 26.09.2019 को प्रार्थना पत्र के साथ राजीनामे फोटो प्रति वादी एवं प्रतिवादी स्वयं तथा अधिवक्ता वादी तथा अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई। जो स्वीकार किया गया। राजीनामा प्रतिवादी गमेरलाल व वादी देवीलाल के मध्य आपसी राजीनामा समझोता दिनांक 10.09.2019 को हो गया है वादी वर्णित आराजी में प्रतिवादी का 1/5 हिस्सा हो उसी भूमि पर देवीलाल वादी का स्वामित्व एवं आधिपत्य है। तथा उक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादी अपना 1/5 हिस्सा पारिवारिक बंटवाडे मे वादी के आना स्वीकार किया है। प्रतिवादी को अपना 1/5 हिस्सा वादी के नाम घोषणा कर दावा डिक्री करवाने में सहमत है। वादी एवं प्रतिवादी ने दिनांक 26.09.2019 को न्यायालय समय मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वीकार किया।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है। मौजा धुलेव की आराजी नम्बर 4831/2938 रकबा 0.0330 हैक्टर में देवीलाल पिता स्व. छबीलाल 1/5 हिस्सा दर्ज करने की घोषणा की जाती है, एवं राजस्व रिकार्ड में माफिक घोषणा वादी का नाम इन्द्राज किया जावे तथा वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से विधि विरुद्ध दखलन्दाजी नहीं करे, न अन्य से करावे।

डिक्री पर्चा अलग से जारी किया जावे। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया

(नीलम लखारा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2019.11.16 13:00:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: